रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस०एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 जुलाई, 1998/8 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 30 जुलाई, 1998

संख्या 1-19/98-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1977 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998

2769-राजपत्र/98-30-7-98—1,295. (2845) मूल्य : 1 रुपया।

(1998 का विधेयक संख्यांक 15) जो दिनांक 30 जुलाई, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

1998 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 1998 है।

धारा 3 का संशोधन। 1971 का 4 2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में, "दो हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, "दो हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4-क का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 4-क में,—

(क) "दो हजार दो सौ पच्चीस" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) "एक हजार सात सौ" शब्दों के स्थान पर, "तीन हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में, "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10-क का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 10-क में, "साठ हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अस्सी हजार" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन खर्चों, जोकि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन को विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तेज वृद्धि के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संदेय वेतन को दो हजार पांच सौ रुपए से चार हजार रुपए और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को संदेय सत्कार भत्तों को दो हजार दो सौ पच्चीस रुपए से चार हजार रुपए और एक हजार सात सौ रुपए से तीन हजार रुपए प्रतिमास बढ़ाना, उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान या उसके स्थायी निवास स्थान पर संस्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों पर व्यय की प्रतिपूर्ति को तीन हजार रुपए से चार हजार रुपए प्रतिमास तक बढ़ाना और रेलवे या वायु मार्ग द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा की अधिकतम सीमा किसी वित्तीय वर्ष में साठ हजार किलोमीटर से अस्सी हजार किलोमीटर तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
.....जुलाई, 1998.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 6 के अधिनियमित किए जाने पर, राजकोष से प्रति वर्ष 0.70 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा । क्योंकि प्रस्तावित संशोधन भावी प्रभाव का है, इसलिए कोई अनावर्ती व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या जी० ए० डी०-सी (पी० ए०) 4-24/94-III]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 1998

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

.....जुलाई, 1998

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 1998

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (*Act No.* 4 *of* 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 1998.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "two thousand and five hundred", the words "four thousand" shall be substituted.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, for the words "two thousand and five hundred", the words "four thousand" shall be substituted.

Amendment of section 4-A.

4. In section 4-A of the principal Act.—

(*a*) **for the words "two thousand, two hundred and twenty five", the words "four thousand" shall be substituted; and**

(*b*) **for the words "one thousand and seven hundred", the words "three thousand" shall be substituted.**

Amendment of section 8.

5. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), in the first proviso, for the words "three thousand", the words "four thousand" shall be substituted.

Amendment of section 10-A.

6. In section 10-A of the principal Act, for the words "sixty thousand" wherever these occur, the words "eighty thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Speaker and Deputy Speaker as a public representative, has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase salary payable to the Speaker and Deputy Speaker from Rs. 2500/- to Rs. 4000/- per month and the sumptuary allowance payable to the Speaker from Rs. 2225/- to Rs. 4000/- per month and to the Deputy Speaker from Rs. 1700/- to Rs. 3000/- per month and to increase the reimbursement of telephone charges from Rs. 3000/- to Rs. 4000/- per month to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within his constituency or at his permanent place of residence and to raise the maximum limit of free transit by railway or by air facility from sixty thousand kilometres to eighty thousand kilometres in a financial year. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:

The..... *July*, 1998.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 6 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer, to the tune of Rs. 0.70 lakhs per annum. As the proposed amendment is prospective in effect there will be no non-recurring expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD File No. GAD-C (PA)4-24/94-III]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 1998, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) BILL, 1998

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

The.....July, 1998.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।